

अतिआवश्यक



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)



मध्याह्न योजना
Mid day Meal Scheme

जयपुर (१४/३/२०१७)

क्रमांक: एफ ५(७) प्रा.शि./एमडीएम/अन्नपूर्णा दूध योजना /२०१८-१९/ १३७३
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त

विषय:- “अन्नपूर्णा दूध योजना” के अन्तर्गत वितरित किये जाने वाले दूध की गुणवत्ता की जांच करने के सम्बन्ध में।

मिड डे मील योजनान्तर्गत समस्त राजकीय विद्यालयों, मदरसों, स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स में अध्ययनरत कक्षा १ से ८ के विद्यार्थियों को अन्नपूर्णा दूध योजना के तहत सप्ताह में छ: दिन दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों में दूध की गुणवत्ता की जांच एवं मापन के सम्बन्ध में भी मानक तय किये गये थे। सम्भवतः आप द्वारा समय-समय पर चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के माध्यम से विद्यालयों में वच्चों को उपलब्ध कराये जा रहे दूध की गुणवत्ता जांच कराई गई होगी।

“अन्नपूर्णा दूध योजना” छात्र-छात्राओं के पोषण से जुड़ी राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो सीधे तौर पर छात्रों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। इसलिये समय-समय पर विद्यालयों में वितरित किये जाने वाले दूध के सैम्प्ल प्राप्त कर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं रसद विभाग के माध्यम से गुणवत्ता की नियमित जांच करवाया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही अधिनस्थ विद्यालयों के संस्थाप्रधानों को निर्देश प्रदान करें कि दूध की लेक्टोमीटर से जांच कर प्रतिदिन १ अध्यापक व १ विद्यार्थी के अभिभावक/एस.एम.सी. के सदस्य द्वारा पोषाहार की भौति चखे जाने के उपरान्त ही छात्रों को दूध उपलब्ध कराया जावे।

अतःयह पूर्णतः सुनिश्चित करें कि वच्चों को उपलब्ध कराये जा रहे दूध की गुणवत्ता विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित मानकों के अनुरूप है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दूध के सैम्प्ल की जांच रिपोर्ट अपने कार्यालय में सुरक्षित रखें तथा एक प्रति विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

४६
(हेम प्रभा)

अति.आयुक्त (वित्त)
मिड डे मील

www.rajteachers.com

क्रमांक: एफ ५(७) प्रा.शि./एमडीएम/अन्नपूर्णा दूध योजना /२०१८-१९/

दिनांक:

- समस्त जिला कलवटर।
- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
- समस्त जिला रसद अधिकारी।
- रक्षित पत्रावली

४६३—१४३—८६३ (क्रिया.एवं मोनिटरिंग)

C.B.T.O. जमीन को (गिरवाकर लेखा) कि उपरिका उत्तरांक द्वारा अनुमति +/जांच
द्वारा अपेक्षित विवाहमों के सम्मति: चिकित्सा (५०%) एवं रसद (५०%)
वापरवादी कुलांकित +/क्रेप्टो उत्तरांक।

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) प्रा.शि. श्रीगणेशगर